राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.6(15)नविवि / 3 / 1987 पार्ट जयपुर, दिनांक : 21.01.2021

आदेश

विषयः–जयपुर विकास प्राधिकरण की पृथ्वीराज नगर योजना में पट्टे दिये जाने की तिथियों में परिवर्तन करवाने बाबत।

संदर्भः–जयपुर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक : प.80 / जविप्रा / अ.आ. / पीआरएन / 2020 / डी–371 दिनांक 22.12.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा कोविड–19 से जनित परिस्थितियों के कारण पृथ्वीराज नगर योजना में नियमन कैम्प हेतु जारी इस विभाग के आदेश दिनांक 03.07.2020 में अंकित तिथियों में परिवर्तन हेतु निवेदन किया है।

अतः विशेष परिस्थितियों के कारण निर्धारित तिथियों में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है:–

सभी योजनाएं जिनमें पूर्व में नियमन कैम्प जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगाये जा चुके हैं, के शेष पट्टे एवं जिन योजनाओ के नियमन कैम्प लगने शेष है उनके कैम्प लगाये जाकर पट्टे जारी किये जाने की अवधि दिनांक 30.06.2021 तक बढायी जाती है तथा निर्धारित दिनांक तक पट्टे प्राप्त नहीं करने वाले भूखण्डधारियों के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Sd/-

(पुरूषोत्तम शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

Scanned with CamScanner